संख्या-62/964/84-1-2013-सी.पी.-16/05-टी.सी.3

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उ0प्र0 लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर,2013

विषय- जिला उपभोक्ता फोरम बस्ती के निर्माण हेतु 5000 वर्गफुट नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी बस्ती के पत्र संख्या-659/नाजिर सदर बस्ती दिनांक 09-09-2013 (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बस्ती में जिला उपभोक्ता फोरम के भवन निर्माण हेतु वांछित भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके पत्र सं0-1040/नाजिर सदर बस्ती दिनांक 20-09-2012 द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में उक्त प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई गई भूमि 2784 वर्ग फुट में दो मंजिला भवन का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है। जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा यह भी अवगत कराया है कि कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है। इसी संबंध में शासन के पत्र सं0-914/84-1-2011-सीपी-16/2005-टी.सी.-2 दिनांक 01-10-2012 द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा आवंटित की गई भूमि 2784 वर्गफुट पर कब्जा प्राप्त किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

अत: अनुरोध है कि कृपया जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जिला उपभोक्ता फोरम हेतु उपलब्ध कराई गई नि:शुल्क भूमि 2784 वर्गफुट पर कब्जा प्राप्त करते हुये दो मंजिला भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://srsanadesh.up.nic.in